राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/27940 जयपुर,दिनांक 13/7/17

आदेश

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश कमांक भूमि/एफ. 7(ड)(275)डीएलबी/2015/भीलवाडा/5034 दिनांक 15.6.2016 की निरन्तरता में राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए नगर निगम/परिषद्/पालिका के स्तर पर पुर्नग्रहण राशि वसूल कर भवन निर्माण अवधि बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती हैं:–

01. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 15 के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि मे भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त/खारिज योग्य भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2018 तक बढाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावें।
02. राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(06)(C) के अन्तर्गत आवंटन द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित अवधि मे भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त/खारिज योग्य भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.03.2018 तक बढाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावें।

किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जावेगा। उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:–प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/27941-28332 दिनांक 13/7/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं समस्त राजस्थान
04. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,समस्त राज0
05. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान
06. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
07. सुरक्षित पत्रावली

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM\5 Order.doc